न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58/2019 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 23.09.2019
G.C.M.S. NO.:-2019/00186

एच. डी. एफ. सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड ऑफिस-एच. डी. एफ. सी. बैंक हाउस, सेनापती बपत मार्ग, लोवेर परेल (पश्चिम), मुम्बई तथा शाखा कार्यालय : टाइम्स स्क्वायर्स, 10, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

1-श्री राजेश कुमार मांडोत पुत्र अभय कुमार मांडोत निवासी ए-12, आदर्श कॉलोनी, वार्ड नं. 16 निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ अन्य पताः-मांडोत इंडस्ट्रीज, जी-1159, रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ (राज.)
2-श्रीमति पुष्पा देवी मांडोत पत्नि अभय कुमार मांडोत मृत्तक के बजाएः-
2/1-श्री पंकज पिता अभय कुमार मांडोत निवासी ए-12, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ द्वितीय पताः-पंकज पिता अभय कुमार मांडोत, मांडोत इंडस्ट्रीज, जी-1159, रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2/2-श्रीमति प्रमिला पत्नि पुष्पेन्द्र कुमार भण्डारी पुत्री अभय कुमार मांडोत निवासी लौहार गली, प्रतापगढ़, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थिति : 1- श्री पंकज टेलर, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.02.2021

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 35,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय विक्रम बादल ने अधिकार पत्र पेश किया तथा विपक्षी संख्या 2 सहऋणी के मृत्यु होने की सूचना प्रस्तुत की। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी संख्या 2 की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उसके वारिसान को पक्षकार कायम कर, रेकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन पेश करने पर विपक्षी संख्या 2 के वारिसान को रेकॉर्ड पर लिया जाकर उन्हें भी रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किए गए। विपक्षी संख्या 2 के वारिसान भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

रिहायशी प्लाट नं. ए-12, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट पूर्व में प्लाट नं. ए-15, पश्चिम में रोड़, उत्तर में प्लाट नं. ए-11, दक्षिण में प्लाट नं. ए-13

उक्त सम्पति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 29.10.2018 तक राशि रूपये 29,11,302/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official